राष्टोय स्वास्थ्य मिशन
8 अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल
मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्र./एमएच/एनएचएम/2020/**Q1** भोपाल, दिनांक 3.4.2020

प्रति,

1. **अधिष्ठाता AIIMS भोपाल**
2. **समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा माहाविद्यालय**
3. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**
4. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक**
5. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश**

विषयः– कोविड पॉजिटिव/संभावित संक्रमित गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के संबंध में।
संदर्भः– पत्र क्रमांक MH/NHM 5318 दिनांक 26.3.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्र में कोविड पॉजिटिव/संभावित संक्रमित गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच एवं प्रसव के संबंध में दिशनिर्देश प्रेषित किये गये थे जिसमें उल्लेख किया था की **कोविड –19 संक्रमित महिला को प्रसव हेतु चिकित्सा महाविद्यालय में रेफर किया जाये** परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टीगत रखते हुये निम्नानुसार संशोधन किया गया है –

1. **कोविड– 19 पाजिटिव गर्भवती महिलाओ जिनकी प्रसव पीडा प्रारंभ नही हुई है**
   - उन्हे प्रबंधन हेतु जिला चिकित्सालय में कोविड वार्ड में रखा जाये। शासकीय मेडीकल कॉलेज वाले जिलो में मेडीकल कॉलेज के कोविड वार्ड में रखा जाये ।
   - शेष जिला चिकित्सालय में एक वार्ड को कोविड पाजिटिव गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने हेतु चिन्हांकित कर तैयार किया जाये ।
   - इस वार्ड मे आइसोलेशन वार्ड के स्टाफ द्वारा गर्भवती महिलाओं की सामान्य जांच एवं फीटल हार्ट की मॉनीटरिंग की जाये।
   - लक्षण के आधार पर उपचार प्रदान किया जाये।
   - 14 दिवस के बाद लैब जांच निगेटिव होने पर प्रोटोकॉल अनुसार डिस्चार्ज किया जाये।
   - कोविड वार्ड में रहने के दौरान महिला को ट्रीपल लेयर मास्क एवं सेनिटाईज़र एवं साबून प्रदाय किया जाना है।

2. **कोविड– 19 पाजिटिव गर्भवती महिलाऐ जो पूर्व से अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती है एवं उन्हे प्रसव पीडा प्रारंभ हुई है**
   - गर्भवती महिला का सामान्य प्रसव करवाने हेतु जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में टेम्पररी लेबर रूम की व्यवस्था कर प्रसव निजता सुनिश्चित करने हुये लेबर रूम में स्टॉफ द्वारा करवाया जाये ।
   - यदि सिजेरियन की आवश्यकता होती है तो जिला अस्पताल के जनरल ओटी में कराया जाये। आपरेशन पश्चात ओटी का फ्युमिगेशन क्वालिटी प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाये।
   - शासकीय मेडीकल कॉलेज वाले जिलों में मेडीकल कॉलेज के कोविड वार्ड में प्रसव प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के स्टॉफ द्वारा करवाया जाये

3. **संभावित संक्रमित गर्भवती महिलाऐ जो घर में कोरेन्टीईन अवधि में थी परन्तु जिन्हे कोविड –19 के लक्षण नही है तथा प्रसव पीडा के साथ अस्पताल में आई है**

- जिला अस्पताल में प्रसव कक्ष में यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल का पालन करतें हुये प्रसव करया जाये।
- प्रसव उपरांत लेबर रूम का फ्युमिगेशन क्वालिटी प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
- अगर सिजेरियन आपरेशन की जरूरत होती है तो मेटरनिटी ओटी में आपरेशन किया जाना है तथा फ्युमिगेशन क्वालिटी प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
- प्रसव उपरांत जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाये।

4. **संभावित संक्रमित गर्भवती महिलाओं जो घर में कोरेन्टीईन अवधि में है तथा कोविड–19 के लक्षण परिलक्षित हो रहे है/लैब जांच नही हुई/ रिपोर्ट अपेक्षित है**

- जिनकी लैब जांच नही हुई है उनका सैम्पल लैब जांच हेतु भेजा जाये तथा प्रसव प्रक्रिया सामान्य प्रसव कक्ष मे यूनिवर्सल इंफेक्शन प्रिवेशन प्रोटोकॉल का पालन करतें हुये प्रसव करवाया जाये। प्रसव उपरांत लेबर रूम/ ओटी का फ्युमिगेशन क्वालिटी प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
- जिन महिलों को लैब जांच हेतु सैम्पल पूर्व में भेजा गया है तो जांच रिपोर्ट को प्राप्त की जाये। अगर जांच पॉजिटिव आती है तो जिला अस्पताल कें कोविड वार्ड में अथवा मेडिक्ल कॉलेज वाले जिलों में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कोविड वार्ड में प्रसव करवाया जाये।

सावधानियां

- उपरोक्त समस्त श्रेणी मे आने वाली गर्भवती महिलाओं को आईडेन्टिफिकेशन टैग दिया जाये।
- प्रसव करवाने वाले स्टाफ को समस्त PPE किट प्रदान की जाये।
- उपरोक्त समस्त गर्भवती महिलाओं को ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क उपलब्ध कराया जाये
- प्रसव उपरांत नवजात को महिला द्वारा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क लगा कर स्तनपान करवाये।
- यदि नवजात शिशु में कोई जटिलता होती है तो कोविड वार्ड मे ही वार्मर की व्यवस्था की जाये।
- उपयोग के उपरांत समस्त उपकरण, स्ट्रेचर व्हील चेयर, लेबर टेबल, वार्मर इत्यादी को 1% हाइप्रोक्लोराईड से प्रोटोकॉल अनुसार डिसइंफेक्ट किया जाये।
- बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन पृथक से कोविड प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये।
- अगर महिला या शिशु को जटिलता होने पर रेफर किया जाता है तो ऐसी स्थिती में एम्बुलेन्स डिसईन्फेक्ट प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये।
- नवजात को ज़िरो डोस टीकाकरण दिया जाना आवश्यक है।
- प्रसव संपादन के लिये न्युनतम स्टाफ को शामिल किया जाये, संबंधित स्टाफ को दिशानुयारा हाइडोक्सी क्लोरोक्वीन की डोज दी जाये तथा प्राटाकॉल अनुसार कोरिन्टीन किया जाना हैं

अन्य असंक्रमीत गर्भवती महिलाऐं जो प्रसव हेतु आ रही है उनका प्रसव कक्ष में ही प्रसव किया जाना है। अनावश्यक रूप से गर्भवती महिलाओं को रेफर न किया जाये, जहा तक संभव हो सके जटिलओं का प्रबंधन अपने स्तर पर ही किया जाये जिससे एक संस्था से दूसरी संस्था में परिवहन के दौरान होने वाले संक्रमण की संभावना को रोका जा सके। अत्यधिक आवश्यकता की स्थिती मे ही गर्भवती महिला को उच्च संस्था पर रेफर किया जाना है।

आपसे अपेक्षित है की मेटरनिटी विंग में इंफेक्शन प्रीवेशन हेतु पर्याप्त मात्रा में N-95 मास्क एवं PPE kit प्रदान करे तथा इसकी प्रतिपूर्ति नियमित रूप से की जाये। उपरोक्तानुसार व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का दायित्व वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पीजीएमओं का रहेगा

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित

(स्वाति मीणा नायक)
मिशन संचालक, एनएचएम
मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्र./एमएच/एनएचएम/2020/ **भोपाल, दिनांक**

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं गैस राहत विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा,।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
7. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
8. अपर संचालक आईडीएसपी स्वास्थ सेवाऐं मध्यप्रदेश।
9. अधीक्षक समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं सुल्तानिया जननना अस्पताल भोपाल
10. विभागाध्यक्ष प्रसूती एवं स्त्री रोग विभाग समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं सुल्तानिया जननना अस्पताल भोपाल
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक, एनएचएम
मध्यप्रदेश